



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062023-246203
CG-DL-E-01062023-246203

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]
No. 331]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2023/ज्येष्ठ 10, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2023/JYAISHTHA 10, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2023

सा.का.नि. 405(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिनमें केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

2. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों के अतिरिक्त होते हुए भी ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों में :-

(क) प्रपत्र 20 में, क्रम संख्या 24 के बाद, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"24क. खड़े रहने की क्षमता

24ख. शयन क्षमता"

(ख) प्रपत्र 21 में, भाग IV में, क्रम संख्या 9 के बाद, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"9क. खड़े रहने की क्षमता

9ख. शयन क्षमता"

(ग) प्रपत्र 22-ख में, क्रम संख्या 6.19 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"डिजाइन की गई बैठने की क्षमता (ड्राइवर सहित) / खड़े रहने की क्षमता / शयन क्षमता (हाँ / नहीं)

नोट: - बैठने, खड़े रहने और शयन क्षेत्र के रूप रेखा के साथ बस बाँडी कोड में निर्दिष्ट प्रक्रिया के आधार पर बैठने, खड़े होने और शयन यात्रीयों की क्षमता की गणना का संकेत देने वाली एक पत्र संलग्न करें।"

(घ) प्रपत्र 23-क में, यंत्र द्वारा पठन क्षेत्र में रेजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के तहत, क्रम संख्या 3 में, पंक्ति संख्या 6 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"ड्राइवर सहित बैठने की क्षमता"

(ङ) प्रपत्र 23ख में, पंक्ति संख्या 12 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"ड्राइवर सहित बैठने की क्षमता

खड़े रहने की क्षमता

शयन क्षमता"

(च) प्रपत्र 25 में, क्रम संख्या 11 के बाद, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"11क. खड़े रहने क्षमता

11ख. शयन क्षमता"

(छ) प्रपत्र 41 में, क्रमांक 13 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"13 चालक सहित बैठने की क्षमता

13क. खड़े रहने की क्षमता

13ख. शयन क्षमता

(ज) प्रपत्र 42 में, क्रम संख्या 14 के बाद, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"14क. खड़े रहने की क्षमता

14ख. शयन क्षमता"

(झ) प्रपत्र 43 में, क्रम 10 संख्या के बाद, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"10क. खड़े रहने की क्षमता"

10ख. शयन क्षमता"

(ञ) प्रपत्र 46 में, क्रम संख्या 10 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"10 मोटर वाहन का पे लोड"

10क. बैठने की क्षमता (ड्राइवर सहित)"

10ख. शयन क्षमता"

(ट) प्रपत्र 47 में, क्रम संख्या 11 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"11 बैठने की क्षमता (ड्राइवर सहित)"

11क. शयन क्षमता"

(ठ) प्रपत्र 51 में, क्रम संख्या 5 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"5क बैठने की क्षमता (ड्राइवर सहित)"

5ख. खड़े रहने क्षमता"

5ग. शयन क्षमता"

[फा. सं. आरटी-11036/163/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांकित द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2023

G.S.R. 405(E).—The following draft of certain rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short Title and commencement- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said rules :-

(a) In Form 20, after serial no. 24, following shall be substituted namely:

“24A. Standing Capacity
24B. Sleeper Capacity”

(b) In Form 21, In PART IV, after serial no. 9, following shall be substituted namely:

“9A. Standing Capacity
9B. Sleeper capacity”

(c) In Form 22-B, for serial no. 6.19, following shall be substituted namely:

“Designed Seating Capacity (including Driver)/ Standing Capacity/ Sleeper Capacity (Yes/No)

Note: - Enclose a sheet indicating calculations of the seating, standing and sleeper passenger capacity based on the procedure specified in the bus body code along with layout of seats, standees & sleeper area”

(d) In Form 23-A, under the Registration certificate in the Machine-Readable Zone, in Sr. No. 3, for row No. 6, following shall be substituted namely .

“Seating capacity including driver”

(e) In Form 23B, for row no 12, following shall be substituted namely:

“Seating capacity including driver
Standing capacity
Sleeper capacity”

(f) In Form 25, after serial no. 11, following shall be substituted namely:

“11A. Standing capacity
11B. Sleeper capacity”

(g) In Form 41, for serial no 13, following shall be substituted namely:

“13. Seating Capacity including driver
13A. Standing capacity
13B. Sleeper capacity”

(h) In Form 42, after serial no. 14, following shall be substituted namely:

“14A. Standing capacity
14B. Sleeper capacity”

- (i) In Form 43, after serial no. 10, following shall be substituted namely:
- “10A. Standing capacity
- 10B. Sleeper capacity”
- (j) In Form 46, for serial no. 10, following shall be substituted namely:-
- “10. Pay load of the motor vehicle
- 10A. Seating Capacity (including driver)
- 10B. Sleeper Capacity”
- (k) In Form 47, for serial no. 11, following shall be substituted namely:-
- “11. Seating Capacity (including driver)
- 11A. Sleeper Capacity”
- (l) In Form 51, for serial no. 5, following shall be substituted namely:-
- “5A. Seating capacity (including driver)
- 5B. Standing capacity
- 5C. Sleeper capacity”

[F. No. RT-11036/163/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide Notification number dated.....